न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/09/2025	2025/37	24.02.2025	02.06.2025

1. बुद्धी पुत्र दानी जाति मेव,
2. रहमत पुत्र दानी जाति मेव,
   निवासीयान मुसैला का नंगला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, लोक अभियोजक अलवर।
2. ज्ञाना पुत्र मुसैला मृतक जरिये वारिसान,
   2/1 बैनी पुत्र स्वर्गीय ज्ञान जाति मेव,
   2/2 प्रताप पुत्र स्वर्गीय ज्ञान जाति मेव,
   2/3 पांच्या पुत्र स्वर्गीय ज्ञान जाति मेव,
   2/4 श्होकत पुत्र स्वर्गीय ज्ञान जाति मेव,
   2/5 जुम्मी पुत्री स्व० ज्ञाना पत्नी जबर खां जाति मेव,
   2/6 जन्नती पुत्री स्वर्गीय ज्ञाना पत्नी गौर खां जाति मेव,
   निवासीयान ग्राम मुसैला का नंगला तन तसई थाना कठूमर।

— असल अप्रार्थीगण

3. रेश्मी पत्नी स्व० श्री दामी जाति मेव मृतक जरिये वारिसान
   3/1 जुबेदीन पुत्र अब्दूल करीम माता स्व० रेश्मी,
   3/2 कश्मीरी पुत्री अब्दूल करीम माता स्व० रेश्मी,
   3/3 अमीनी पुत्री अब्दूल करीम माता स्व० रेश्मी,
   3/4 रमजानी पुत्री अब्दूल करीम माता स्व० रेश्मी,
   3/5 जुबेदा पुत्री अब्दूल करीम माता स्व० रेश्मी,
4. रोशनी पुत्री दानी जाति मेव,
5. गुहरी पुत्री दानी जाति मेव,
   निवासी मुरौला का नंगला तन तसई थाना कठूमर।

— तरतीबी अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01—श्री भूपेन्द्र खाटाणा —वकील प्रार्थी
02—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण
03—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के प्रकरण बउनवान सरकार बनाम ज्ञाना को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर के यहां एक प्रकरण धारा 145, 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सरकार बनाम ज्ञाना व अन्य पार्टी नम्बर 1 व बुद्धी व अन्य

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पार्टी नम्बर 2 के नाम से विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 21–02–2025 की पेशी नियत है। उक्त प्रकरण में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर ने अपने आदेश दिनांक 21–07–2023 के तहत यह आदेश पारित किया था कि प्रकरण से संबंधित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम तसई को रिसिवर से बागुजार कर कब्जा पार्टी नम्बर 1 को लौटाने तथा नीलामी से प्राप्त राशि को 'पार्टी नम्बर 1 को नियमानुसार लौटाये जाने के आदेश तहसीलदार (रिसिवर) कठूमर को दिये जाते हैं।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर के उक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थीगण व अन्य ने एक निगरानी माननीय सैशन न्यायाधीश कठूमर के यहां प्रस्तुत की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निगरानी संख्या 32/32/2023 पर दिनांक 21–10–2023 को यह आदेश पारित किया है कि निगरानीकार संख्या 3 रेश्मी के वारिसान को ना तो रिकोर्ड पर लिया गया है और ना ही निगरानीकारान को सुना गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुना जाकर ही आदेश पारित करना चाहिए। चूंकि उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जानां प्राकृतिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, जिसकी पालना उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है एवं माननीय निगरानी न्यायालय में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर के उक्त आदेश दिनांक 21–07–2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया कि उपखण्ड न्यायालय कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लेने के पश्चात कार्यवाही कर उभय पक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश 6 माह के भीतर पारित करें।

माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर ने निगरानी न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21–10–2023 की कोई पालना नहीं की। यद्यपि इस दौरान निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मृतका रेश्मी के वारिसान का रिकोर्ड पर लिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उसके बाद भी उनको रिकोर्ड पर नहीं लिया और निगरानी न्यायालय के आदेश की कोई पालना नहीं की गई। इसके साथ–साथ निगरानी न्यायालय द्वारा 6 माह के अन्दर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था, उसकी भी कोई पालना नहीं की गई। निगरानी न्यायालय के निर्णय की पालना में विवादित आराजी को पुनः कब्जे सरकार ले लिया गया था तथा नीलामी से प्राप्त राशि भी राजकोष में जमा हो गई थी। किन्तु बाद में पार्टी नम्बर 1 ने उक्त नीलामी से प्राप्त राशि को जो राजकोष में जमा थी को वापिस प्राप्त कर लिया। इस संबंध में निगरानीकर्ता ने दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर को प्रस्तुत करते हुए जो राशि अप्रार्थीगण ने वापिस प्राप्त कर ली, उसे जमा कराने के लिए प्रस्तुत किये गये थे। जिनकी एक छायाप्रति भी अप्रार्थीगण अभिभाषक को उपलब्ध कराई गई, जिनके प्राप्ति के हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। किन्तु उक्त प्रार्थना पत्रों टि का पत्रावली में कोई इन्द्राज नहीं किया गया और ना ही वो प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है।

इस प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा निगरानी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हुए अप्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी से प्राप्त रिसिवर की राशि अप्रार्थीगण को वापिस देने पर उतारू हैं, इस संबंध में अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करते हुए रिसिवर से प्राप्त राशि को प्राप्त करने के लिए पेश किया हुआ है, जिस प्रार्थना पत्र का निस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में करना चाहते हैं। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 24–01–2025 को व दिनांक 17–02–2025 को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे हुए हमारे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने के लिए निवेदन किया, किन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय नहीं करते हुए अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने राशि का निर्णय करने पर उतारू है। इन हालात में निगरानीकर्ता को माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर से न्याय की कतई आशा नहीं है तथा वो पक्ष पात पूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण का पक्ष लेकर आदेश पारित करना चाहते हैं। जबकि न्याय का सर्वमाननीय सिद्धांत है कि ना केवल न्याय हो बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, जिसकी बाबत प्रार्थीगण को कतई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आशा नहीं है। इन हालात में न्याय हित में व प्रकरण में सही न्याय करने की नियत से उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर से किसी अन्य न्यायालय मुन्तकिल फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे एवं ताफैसला मौजूदा प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि पैरा संख्या 1, 2 व 3 सही है, स्वीकार है। पैरा संख्या 4 गलत है, स्वीकार नही है। यह अंकित करना नितांत गलत है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने निगरानी न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21–10–2023 की पालना नही की तथा समस्त तथ्य मनगढन्त अंकित किये गये है। माननीय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा आदेश की पालना विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है तथा रेशमी के वारिसान को रिकार्ड पर ले लिया गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कठूमर की पूर्ण पालना करने के लिए तत्पर है, लेकिन स्वंय प्रार्थीगण देरी करना चाहते है। पैरा संख्या 5 गलत है, स्वीकार नही है। उक्त राशि नियमानुसार विधिवत वापिस करने को तत्पर है लेकिन उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के मुताबिक जो भी आदेश है उसकी पालना की जावेगी। पैरा संख्या 6 स्वीकार नहीं है। समस्त तथ्य मनगढन्त दर्ज किये है। पैरा संख्या 7 स्वीकार नही है। माननीय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण का यह कथन कतई गलत है कि उक्त आदेश की पालना नही करते की जा रही हो। प्रार्थीगण द्वारा जो आरोप लगाये गये है वो न्यायालय पर लगाये गये है, जो गलत है। पैरा संख्या 8 गलत है, स्वीकार नहीं है। समस्त तथ्य मनगढन्त कपोल कल्पित महज अदालत को गुमराह करने की नियत से अंकित किये गये है। पैरा संख्या 9 नितांत गलत है, स्वीकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पक्षपात नही किया जा रहा है। यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण कोअधिनस्थ न्यायायल से न्याय की कतई आशा नही हों। समस्त कार्यवाही सर्वमान्य सिद्धान्तों के अनुसार की जा रही है। एक तरफ प्रार्थी जल्दी करने की कह रहे हैं दूसरी तरफ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं देरी करना चाहते हैं। पैरा संख्या 10 गलत है, स्वीकार नहीं है। पैरा संख्या 11 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना सदभावना पूर्वक पेश नहीं किया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमाया जावें आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है प्रकरण सरकार बनाम ज्ञाना पार्टी 1 बुद्वी वगै0 पार्टी 2 में आगामी तारीख पेशी 21.03.2025 नियत है। उक्त प्रकरण का हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2023 को निर्णय होने के बाद संबंधित आराजी खसरा नम्बर 15 रकवा 2 बीधा 3 बिस्वा ग्राम तसई को रिसिवर से बागुजार कर कब्जा पार्टी नम्बर 1 को लौटन तथा नीलामी से प्राप्त राशि पार्टी नम्बर 1 को नियमानुसार लौटये जाने के आदेश तहसीलदार (रिसिवर) कठूमर को दिनांक 01.08.2023 दिये जा चुके है। माननीय सैशन न्यायाधीश कठूमर की निगरानी संख्या 32/32/2023 पर दिनांक 21.10.2023 के आदेश की पालना में उभय पक्षों को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा रहे है और रेशमी के वारिसान को भी रिकोर्ड पर दिनांक 14.02.205 लिया गया है। माननीय सैशन न्यायाधीश कठूमर की निगरानी संख्या 32/32/2023 पर दिनांक 21.10.2023 के आदेश की पालना में रिसिवर अधिकारी तहसीलादर कठूमर को पुनः कब्जा लेने व नीलामी से प्राप्त राशि को तुरंत राजकोष में जमा करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जा चुके है। उक्त प्रकरण में रिसिवर अधिकारी तहसीलादर कठूमर को पुनः कब्जा लेने व नीलामी से प्राप्त राशि को तुरंत राजकोष में जमा करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जा चुके है और तहसीलदार कठूमर द्वारा पार्टी संख्या 1 को नीलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करने के हेतु कई बार नोटिस जारी किये गये है। जिम्मन न. 6, 7, 8 व 9 अस्वीकार हैं। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

वेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान